राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः– प.6(18)राज–6/99/8

जयपुर, दिनांक 16.2.2002

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 90–ख, जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या–21) के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य की समस्त नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान (Extinction) एवं भूमि पुनर्ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करती है। [राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 20.2.2002, पृष्ठ 565 पर प्रकाशित]